


मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 113]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 जनवरी 2010—माघ 8, शक 1931

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश
मोतीमहल, ग्वालियर

देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन की व्यवस्था
वर्ष 2010-11

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी 2010

क्र. सात-ठेका-2010-11-01.—सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि संपूर्ण मध्यप्रदेश में वर्ष 2010-11 अर्थात् 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक की अवधि के लिए, निम्न शर्तों एवं प्रक्रिया के अधीन विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन तथा बीयर) एवं देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का वार्षिक मूल्य/आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाकर पृथक्-पृथक् लगाना है. एकल समूह में निष्पादन किया जावेगा. वर्तमान में संचालित मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन प्रथमतः दिनांक 11 फरवरी 2010 तक वर्तमान अनुज्ञप्तिधारियों से आवेदन-पत्र प्राप्त किये जाकर, पात्र आवेदकों के हित में नवीनीकरण के माध्यम से किया जायेगा. नवीनीकरण के पश्चात् शेष बची दुकानों/एकल समूहों एवं वर्ष 2010-11 के लिये नवीन खोली जाने वाली विदेशी मदिरा तथा देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का निवर्तन संबंधित जिलों के कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित, जिला समिति द्वारा निम्नांकित कण्डिका 48.2 में दर्शाए स्थलों पर दिनांक 26 फरवरी 2010 को टेंडर द्वारा किया जायेगा. देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन के लिये प्रत्येक जिले में गठित समिति निम्नानुसार होगी:—

1.	कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3.	संबंधित संभाग के उपायुक्त आबकारी	सदस्य
4.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत)	सदस्य
5.	सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी	सदस्य-सचिव

वर्ष 2010-11 के लिये जिला समिति का स्वरूप एवं कार्य वर्ष 2009-10 अनुसार रहेगा. यह समिति आबकारी आयुक्त के सामान्य पर्यवेक्षण के अध्वधीन कार्य संपादन करेगी.

नोट.—जिले की मदिरा दुकानों के नवीनीकरण एवं टेण्डर द्वारा निष्पादन से संबंधित शर्तों के संबंध में तैयार किये गये विक्रय ज्ञापन की प्रति रुपये 500/- पृथक् से नगद जमा करने पर उपलब्ध हो सकेगी.

दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की मुख्य शर्तें/निर्बन्धन

1. मदिरा की नवीन दुकानें खोली जाना :

1.1 वर्ष 2010-11 के लिये राज्य के विभिन्न जिलों में देशी मदिरा की 106 एवं विदेशी मदिरा की 52 नवीन दुकानें खोली जायेंगी. नवीन खोली जाने वाली देशी मदिरा दुकानों का विवरण परिशिष्ट "एक" में तथा विदेशी मदिरा दुकानों का विवरण परिशिष्ट "दो" में अंकित है. नवीन विदेशी मदिरा दुकानों का निष्पादन ऑफ दुकानों के रूप में किया जायेगा.

1.2 आदिवासी/अनुसूचित क्षेत्रों में नवीन खोली जाने वाली मदिरा दुकान उस क्षेत्र की ग्राम सभा की सहमति के उपरान्त ही खोली जा सकेगी.

2. मदिरा दुकानों को बन्द किया जाना :

वर्ष 2010-11 के लिये भोपाल जिले की न्यू कबाड़खाना तथा इन्दौर जिले की पाटनीपुरा विदेशी मदिरा दुकान बंद की जाती हैं.

3. मदिरा दुकानों का स्वरूप, स्थान एवं नाम में परिवर्तन किया जाना :

3.1 वर्ष 2010-11 के लिये परिशिष्ट "तीन" में अंकित मदिरा दुकानों के स्वरूप में अर्थात् विदेशी मदिरा दुकान को देशी मदिरा दुकान में तथा देशी मदिरा दुकान को विदेशी मदिरा दुकान में परिवर्तित किया गया है.

3.2 वर्ष 2010-11 के लिये परिशिष्ट "चार" में अंकित मदिरा दुकानों का स्थान परिवर्तन किया गया है.

3.3 वर्तमान वर्ष 2009-10 में संचालित कतिपय देशी अथवा विदेशी मदिरा दुकानें, जिस नाम से स्वीकृत हैं, वे उससे भिन्न नाम के स्थान पर संचालित हैं. अतः ऐसी मदिरा दुकानों के पूर्व नाम को परिवर्तित कर, उसे वर्तमान स्थान के नाम से निष्पादित करने के लिये संबंधित जिला समिति को अधिकृत किया जाता है.

3.4 मदिरा दुकानों के स्वरूप अथवा उनके स्थान अथवा उनके नाम परिवर्तन से उन दुकानों के वार्षिक मूल्य/आरक्षित मूल्य अपरिवर्तित रहेगा.

4. देशी/विदेशी मदिरा की एकल दुकानों के समूह का निर्धारण :

वर्तमान वर्ष 2009-10 में मदिरा दुकानों का निष्पादन एकल दुकान/एकल समूह के रूप में किया गया है. एकल समूह में बड़ी एक दुकान के साथ निकटवर्ती क्षेत्र की एक या दो दुकानें सम्मिलित हैं. यह व्यवस्था पूर्व वर्षों से प्रचलित है. वर्ष 2010-11 के लिए इन समूहों को परिवर्तित नहीं किया जायेगा. वर्तमान में वर्ष 2009-10 में संचालित मदिरा दुकानों के वर्तमान एकल समूह, यथावत् निष्पादन पर रखे जावेंगे. इसके अतिरिक्त वर्ष 2010-11 के लिए खोली जाने वाली नवीन देशी मदिरा एवं ऑफ श्रेणी की विदेशी मदिरा दुकानों का निष्पादन, स्वतंत्र रूप से टेण्डर आमंत्रित कर किया जायेगा.

5. आरक्षित मूल्य का निर्धारण :

(1) वर्ष 2010-11 के लिए, वर्तमान मदिरा दुकानों का आरक्षित मूल्य वर्ष 2009-10 के वार्षिक मूल्य में 20 प्रतिशत वृद्धि कर, निर्धारित किया जाएगा.

(2) वर्ष 2010-11 के लिये, प्रथम बार खोली जाने वाली नवीन देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा दुकानों का आरक्षित मूल्य निम्नानुसार होगा :—

- (क) इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र में स्थित, नवीन दुकान के लिए रुपये 40 लाख.
- (ख) उक्त नगर निगम क्षेत्रों को छोड़कर, अन्य नगर निगम क्षेत्रों में स्थित, नवीन दुकान के लिये रुपये 20 लाख.
- (ग) नगरपालिका क्षेत्र में स्थित, नवीन दुकान के लिए रुपये 10 लाख.
- (घ) नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित, नवीन दुकान के लिये रुपये 5 लाख.
- (ङ) ग्रामीण क्षेत्र में स्थित, नवीन दुकान के लिये रुपये 2 लाख.

6. बेसिक लायसेंस फीस, वार्षिक मूल्य एवं वार्षिक लायसेंस फीस का निर्धारण:

- (1) वर्ष 2010-11 के लिये बेसिक लायसेंस फीस संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के निर्धारित आरक्षित मूल्य का 8 प्रतिशत होगी.
- (2) नवीनीकरण के माध्यम से निष्पादित की गयी मदिरा दुकान/एकल समूहों का आरक्षित मूल्य ही उसका वार्षिक मूल्य होगा.
- (3) वार्षिक मूल्य में से बेसिक लायसेंस फीस कम किये जाने पर, अवशेष कुल राशि संबंधित दुकान/एकल समूह की वार्षिक लायसेंस फीस रहेगी.
- (4) आरक्षित मूल्य से बेसिक लायसेंस फीस कम करने पर, जो राशि शेष होगी, उस पर टेण्डर आमंत्रित किए जायेंगे. वर्ष 2010-11 के लिए टेण्डर में प्राप्त एवं स्वीकृत उच्चतम ऑफर की राशि और बेसिक लायसेंस फीस का योग, उस दुकान/एकल समूह का वर्ष 2010-11 का वार्षिक मूल्य होगा. बेसिक लायसेंस फीस आरक्षित मूल्य में परिवर्तन होने पर ही परिवर्तित होगी.

7. मदिरा दुकानों का स्वरूप :

वर्ष 2010-11 में देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का अनुज्ञापितकारी केवल देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का अनुज्ञापितकारी केवल विदेश में निर्मित एवं मूल में बोटल बंद (Bottled in Origin) आयातित विदेशी मदिरा एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) का ही विक्रय कर सकेगा. अनुज्ञापितकारी के लिए यह बंधनकारी होगा कि, वह अनुज्ञापित मदिरा दुकान को उसके घोषित क्षेत्र में ही नियमानुसार स्थापित करें.

8. नवीनीकरण आवेदन-पत्र/टेण्डर का मूल्य :

वर्ष 2010-11 के लिए नवीनीकरण/टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानों के लिए आवेदन-पत्र/टेण्डर प्रपत्र का मूल्य इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र में स्थित प्रत्येक मदिरा दुकान के लिए रुपये 8000/-, इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर, अन्य नगर निगम क्षेत्र में स्थित प्रत्येक मदिरा दुकान के लिए रुपये 6000/-, नगर पालिका क्षेत्र में स्थित प्रत्येक मदिरा दुकान के लिए रुपये 5000/-, नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित प्रत्येक मदिरा दुकान के लिए रुपये 4000/- तथा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्रत्येक मदिरा दुकान के लिए रुपये 3000/- निर्धारित किया गया है.

9. मदिरा दुकानों का नवीनीकरण:

राजस्व हित में उन्हीं जिलों में मदिरा दुकानों/एकल समूहों के नवीनीकरण के लिए प्राप्त आवेदन-पत्र स्वीकार किये जा सकेंगे जिनमें समग्र में निहित कुल राजस्व जिले की मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लिए वर्ष 2010-11 हेतु निर्धारित वार्षिक मूल्य का कम से कम 80 प्रतिशत हो. इससे कम मूल्य के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर उस जिले में वर्तमान लायसेंसधारियों के लायसेंस को नवीनीकरण करने के स्थान पर समस्त मदिरा दुकानों / एकल समूहों का निष्पादन सीलड टेण्डर आमंत्रित किये जाकर प्राप्त उच्चतम टेण्डर राशि (ऑफर) पर किया जाएगा. मदिरा दुकानों/एकल समूहों को वर्तमान में प्रचलित अनुसार यथावत निष्पादन पर रखा जायेगा. नवीनीकरण के संबंध में प्रभावशील शर्तें एवं व्यवस्था निम्नानुसार रहेंगी:—

(i) वर्ष 2009-10 के ऐसे लायसेंस, जिनके विरुद्ध जनवरी 2010 अंत तक देय, कोई लायसेंस फीस बकाया नहीं है तथा जिन्होंने वर्ष के दौरान कोई गंभीर अनियमितता नहीं की है, उन्हें दुकान/एकल समूह के नवीनीकरण का आवेदन दिनांक 1 फरवरी, 2010 से दिनांक 11 फरवरी, 2010 के अपराह्न 17.00 बजे तक, संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा. निर्धारित प्रारूप का आवेदन-पत्र, मियत राशि के भुगतान पर कार्यालयीन समय में संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है.

(ii) मदिरा दुकानों/एकल समूहों के नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों का निराकरण, जिला समिति द्वारा किया जाकर, पात्र आवेदकों को वर्ष 2010-11 के लिए नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाएगी. शेष बची हुई दुकानों के सम्बन्ध में निष्पादन की कार्यवाही टेण्डर के माध्यम से की जायेगी.

(iii) वर्ष 2009-10 के लिए दुकान/एकल समूह के वार्षिक मूल्य (बेसिक लायसेंस फीस+वार्षिक लायसेंस फीस) में 20 प्रतिशत वृद्धि कर, वर्ष 2010-11 के लिये दुकान/एकल समूह निष्पादन योग्य होगा. इस तरह आंकलित किये गये वार्षिक मूल्य का 8 प्रतिशत बेसिक लायसेंस फीस होगी. वार्षिक मूल्य से बेसिक लायसेंस फीस घटाने पर प्राप्त राशि, उस मदिरा दुकान/एकल समूह की वार्षिक लायसेंस फीस होगी. वार्षिक लायसेंस फीस का 12 प्रतिशत अग्रिम प्रतिभूति की राशि होगी.

(iv) एकल समूह की स्थिति में वर्ष 2009-10 में देशी मदिरा दुकान से विदेशी मदिरा दुकान अथवा विदेशी मदिरा दुकान से देशी मदिरा की दुकान में, लायसेंस फीस में किये गये समायोजन के आधार पर दुकानवार वार्षिक मूल्य परिवर्तित होगा. लेकिन एकल समूह का समेकित वार्षिक मूल्य अपरिवर्तित रहेगा.

(v) नवीनीकरण हेतु इच्छुक आवेदक की वर्ष 2009-10 की 12 प्रतिशत अग्रिम प्रतिभूति, वर्ष 2010-11 हेतु मान्य की जायेगी. वर्ष 2010-11 के लिये देय अग्रिम प्रतिभूति की शेष राशि, 15 मार्च, 2010 तक आवेदक द्वारा जमा की जायेगी.

(vi) नवीनीकरण हेतु इच्छुक लायसेंसि अपने आवेदन-पत्र के साथ, निम्नलिखित जानकारी/अभिलेख भी प्रस्तुत करेंगे:—

- (क) निर्धारित प्रारूप में नवीनीकरण का आवेदन-पत्र.
- (ख) वर्ष 2009-10 के लिए प्रस्तुत 12 प्रतिशत की अग्रिम प्रतिभूति राशि दिनांक 30-4-2011 तक के लिए जमा मान्य करने की सहमति. यदि 12 प्रतिशत अग्रिम प्रतिभूति राशि बैंक गारंटी के रूप में है तो ऐसी बैंक गारंटी की वैधता अवधि में दिनांक 30-4-2011 तक की वृद्धि किये जाने सम्बन्धी संबंधित बैंक का पत्र. (बैंक अपने पत्र में यह उल्लेखित एवं प्रमाणित करेगा कि प्रस्तुत बैंक गारंटी वर्ष 2010-11 के संदर्भ में तथा वर्ष 2010-11 के दौरान लायसेंसि द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए भी बंधनकारी होगी. बैंक द्वारा ऐसा पत्र रुपये 250/- मूल्य के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार कराकर जारी किया जायेगा.)
- (ग) संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह की बेसिक लायसेंस फीस के 25 प्रतिशत के बराबर की धरोहर राशि नगद या समतुल्य राशि का जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा पर देय, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक अथवा बैंक केश आर्डर के रूप में जमा करना होगी.
- (घ) नवीनीकरण हेतु इच्छुक आवेदक को वर्ष 2010-11 के लिये देय बेसिक लायसेंस फीस की अवशेष 75 प्रतिशत राशि में से 25 प्रतिशत राशि दिनांक 19 फरवरी, 2010 तक, 25 प्रतिशत राशि दिनांक 3 मार्च, 2010 तक तथा शेष 25 प्रतिशत राशि दिनांक 12 मार्च 2010 तक जमा करना होगी. तदनुसार आवेदक इस आशय का नोटराइज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा कि:—

- (1) आवेदक वर्ष 2010-11 की देय लायसेंस फीस यथा समय जमा करेगा.
- (2) यदि आवेदक अवशेष 75 प्रतिशत बेसिक लायसेंस फीस में से, 25 प्रतिशत राशि दिनांक 19 फरवरी, 2010 तक, 25 प्रतिशत राशि दिनांक 3 मार्च, 2010 तक तथा शेष 25 प्रतिशत राशि दिनांक 12 मार्च 2010 तक जमा नहीं करता है तो, उपरोक्तानुसार किसी भी किशत के जमा न होने पर, तथा/अथवा देय 12 प्रतिशत अग्रिम प्रतिभूति की शेष राशि 15 मार्च 2010 तक जमा नहीं होने पर, उसके द्वारा वर्ष 2009-10 के लिए पूर्व में जमा 12 प्रतिशत की प्रतिभूति राशि अथवा उसकी बैंक गारंटी तथा वर्ष 2010-11 के लिए जमा बेसिक लायसेंस फीस एवं अन्य कोई जमा राशि राजसात कर ली जाए तथा उसकी दुकान का सार्वजनिक रूप से निष्पादन कर दिया जाए. इस निष्पादन के फलस्वरूप यदि शासन को कम राशि का ऑफर प्राप्त होता है, तो अन्तर की खिसारा राशि आवेदक द्वारा देय होगी तथा यह राशि उससे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

- (ड) राजस्व हित में यदि किसी जिले में नवीनीकरण के लिये प्राप्त आवेदन-पत्र स्वीकार कर लेने के पश्चात् यह परिलक्षित होता है कि आवेदन-पत्रों में प्राप्त समेकित ऑफर उस जिले के 2010-11 हेतु निर्धारित वार्षिक मूल्य के 80 प्रतिशत से कम है तब, उस जिले की समस्त मदिरा दुकान/एकल समूह प्रचलित अनुसार यथावत सील्ड टेण्डर आमंत्रित कर प्राप्त उच्चतम टेण्डर राशि पर निष्पादित किये जाकर वर्तमान लायसेंसधारी द्वारा नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन का मूल्य उसे रसीद प्राप्त कर वापिस कर दिया जायेगा.

10. नवीनीकरण से शेष तथा नवीन मदिरा दुकानों का निष्पादन:

10.1 नवीनीकरण से शेष बची दुकानों/एकल समूहों तथा वर्ष 2010-11 के लिए खोली जाने वाली नवीन देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों का निष्पादन निर्धारित आरक्षित मूल्य पर सभी इच्छुक व्यवसायियों से टेंडर आमंत्रित कर दिनांक 26 फरवरी 2010, दिन शुक्रवार को किया जाएगा. उच्चतम प्राप्त राशि का टेंडर यदि आरक्षित मूल्य या उससे अधिक का होगा तो, जिला समिति द्वारा इस दुकान का निष्पादन कर दिया जाएगा. टेंडर में ऑफर के रूप में राशि अंकित करने संबंधी कोई अधिकतम सीमा नहीं रहेगी. यदि उच्चतम ऑफर आरक्षित मूल्य से कम का होगा तो, उसके संबंध में आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा निर्णय लिया जायेगा.

10.2 इच्छुक व्यवसायियों/व्यक्तियों द्वारा ऐसी दुकानों का विवरण, आरक्षित मूल्य, बेसिक लायसेंस फीस, धरोहर राशि, वार्षिक लायसेंस फीस, ड्यूटी की दरों, मादक द्रव्यों की खपत तथा संबंधित नियमों आदि की जानकारी, संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से किसी भी दिन कार्यालयीन समय में दिनांक 1 फरवरी 2010 के पश्चात् प्राप्त की जा सकती है.

11. व्यक्ति जो टेण्डर देने से वर्जित होंगे :

देशी तथा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों के लिए ऐसे ही व्यक्ति टेण्डर प्रस्तुत कर सकेंगे, जो आबकारी लायसेंस प्राप्त करने की योग्यता रखते हों. निम्नलिखित व्यक्ति टेण्डर देने के लिए अयोग्य रहेंगे:—

- (क) कोई भी व्यक्ति, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो.
- (ख) कोई भी व्यक्ति, जो स्वतः अथवा जमानतदार की हैसियत से शासन की आबकारी राशि तथा/अथवा मनोरंजन शुल्क की किसी प्रकार की राशि का बकायादार हो. वर्ष 2009-10 की अवधि का अनुज्ञप्तिधारी जिसके द्वारा उसके लायसेंस की माह फरवरी 2010 के प्रथम पक्ष अंत तक की संपूर्ण देय लायसेंस फीस न पटाई गई हो.
- (ग) कोई भी व्यक्ति, जो पहले लायसेंसी रहा हो और लायसेंसी की हैसियत से उसका आचरण निष्पादन करने वाली जिला समिति के मत में संतोषजनक न रहा हो.
- (घ) कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम विभाग की काली सूची में हो.
- (ड) कोई भी व्यक्ति, जिसके बारे में निष्पादनकर्ता जिला समिति को यह विश्वास हो कि वह बुरे आचरण वाला है.
- (च) कोई भी व्यक्ति जो मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 या राजस्व संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या इंडियन मर्केन्डाइज मार्कर्स अधिनियम, 1899 (1899 क्रमांक 4) या इस अधिनियम की धारा 3 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता (1860 क्रमांक 45) में पुनः स्थापित की गई धाराओं 478 से 489 के अधीन या औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, 1955 या नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस अधिनियम, 1985 अथवा इन अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के गंभीर उल्लंघन करने का दोषी रहा हो और ऐसे अपराधों के लिए किसी दंडिक न्यायालय द्वारा दोष-सिद्ध ठहराया गया हो.

12. धरोहर राशि जमा कराया जाना :

प्रत्येक टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर प्रपत्र के साथ दुकान की निर्धारित सम्पूर्ण बेसिक लायसेंस फीस धरोहर राशि के रूप में नगद अथवा जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में, भुगतान योग्य, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर के रूप में जमा करायी जायेगी. असफल टेण्डरदाता के द्वारा जमा की गई धरोहर राशि रसीद प्राप्त कर वापिस की जायेगी.

12.1 टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर में अंकित ऑफर के 1/12 भाग की समतुल्य राशि का 1-4-2010 की तारीख का किसी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का पोस्टडेटेड चैक भी प्रतिभूति के रूप में संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के नाम प्रस्तुत किया जाना होगा. यह पोस्टडेटेड चैक टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर प्रपत्र के भाग-2 के लिफाफे में रखा जायेगा. प्रतिभूति राशि के जमा हो जाने पर या असफल टेण्डरदाता होने की स्थिति में यह पोस्टडेटेड चैक वापिसी योग्य होगा. टेण्डरदाता इस आशय का नोटराईज्ड शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि "उसे यह ज्ञात है कि दुकान के लिए निर्धारित क्षेत्र में आपत्तिरहित स्थल खोज कर वहां दुकान स्थापित व संचालित करने का दायित्व उसका स्वयं का है."

13. टेण्डर द्वारा मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन :

13.1 नवीनीकरण के पश्चात् निष्पादन से शेष देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों तथा वर्ष 2010-11 के लिये प्रथमबार खोली जा रही नवीन देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की ऑफ दुकानों के लायसेंस, कण्डिका 48.1 में घोषित तिथि एवं समय अनुसार टेण्डर द्वारा निष्पादित/निवर्तित किये जायेंगे.

13.2 देशी मदिरा व विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की जिन दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन/निराकरण टेण्डर द्वारा किया जाना है, की सूची, उनका स्थान, उनका आरक्षित मूल्य, बेसिक लायसेंस फीस, वार्षिक लायसेंस फीस, मादक पदार्थों की खपत एवं ड्यूटी की दर आदि की जानकारी संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से इच्छुक टेण्डरदाता को उपलब्ध कराई जायेगी.

13.3 टेण्डर प्रपत्रों का विक्रय संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य किसी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से निर्धारित राशि के समतुल्य भुगतान पर उपलब्ध हो सकेंगे. मदिरा दुकानों के एकल समूह के लिए टेण्डर प्रपत्र एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों की अवस्थिति के अनुरूप, उपरोक्तानुसार समेकित मूल्य के अग्रिम भुगतान पर प्रदाय किये जायेंगे.

13.4 मध्यप्रदेश राज्य के सभी जिलों में क्रमांकित टेण्डर प्रपत्र उपलब्ध रहेंगे. प्रति दुकान/एकल समूह के लिए टेण्डर प्रपत्र का मूल्य कंडिका 9 में उल्लेखित राशि अनुसार रहेगा. टेण्डर प्राप्त करने के लिए जमा की गई राशि की रसीद जिला कार्यालय द्वारा जारी की जावेगी.

13.5 विभाग द्वारा मुद्रित कराये गये निर्गत टेण्डर प्रपत्र ही स्वीकार किये जायेंगे.

13.6 टेण्डरदाता द्वारा किसी भी दुकान/एकल समूह के लिए प्रस्तुत किये गये अपने टेण्डर के साथ, अपनी पहचान एवं निवास स्थान के पते के सत्यापन हेतु निम्नांकित कंडिका क्रमांक 16 में उल्लेखित दस्तावेजों में से कोई, एक-एक दस्तावेज की प्रमाणित फोटो प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी.

13.7 एक व्यक्ति एक दुकान/एकल समूह के लिए एक ही टेण्डर प्रस्तुत कर सकेगा, परंतु एक व्यक्ति कई दुकानों/एकल समूहों के लिए अलग-अलग टेण्डर प्रस्तुत कर सकेगा.

13.8 निर्गत टेण्डर प्रपत्र दो भागों में होगा. भाग-एक में टेण्डरदाता धरोहर राशि जमा का विवरण, सहमति करार, स्वयं की पहचान सुनिश्चित करने एवं निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु वांछित दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति तथा आयकर स्थायी लेखा (PAN) क्रमांक, बैंक खाता क्रमांक तथा प्रस्तुत की जा रही जानकारी के संबंध में नोटराईज्ड शपथ-पत्र एवं आवश्यक अन्य अभिलेख भरकर, एक लिफाफे में बंद कर रखेगा. टेण्डरदाता भागीदार फर्म होने की दशा में फर्म के पंजीयन प्रमाण-पत्र के साथ-साथ पार्टनरशिप-डीड एवं रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसायटी द्वारा जारी फर्म के रजिस्टर की नकल (एब्स्ट्रेक्ट) अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगा. यदि टेण्डरदाता कंपनी की ओर से टेण्डर देना चाहता है, तो टेण्डर देने के पूर्व उसे संबंधित कंपनी का निगमन प्रमाण-पत्र अथवा उसकी विधिवत् अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, कंपनी के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टीकल्स ऑफ एसोसिएशन की मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि कंपनी के संचालक मण्डल की सूची तथा संचालक मण्डल

की ओर से आवेदक के पक्ष में निष्पादित/जारी अधिकार-पत्र प्रस्तुत करना होगा। टेण्डरदाता दुकान/एकल समूह का स्पष्ट नाम लिखते हुए, अपना ऑफर शब्दों तथा अंकों में टेण्डर प्रपत्र के भाग-दो में प्रस्तुत करेगा। जिसे वह प्रथक् लिफाफे में रखकर बंद करेगा। इसी लिफाफे में वह अपने ऑफर के 1/12 भाग की राशि का पोस्ट डेटेड चैक भी रखेगा। टेण्डर प्रपत्र के दोनों भाग "एक" व "दो" के लिफाफे, एक बड़े लिफाफे में, इस तरह चिपकाकर बंद करेगा कि उसे फाड़े बिना, लिफाफे को खोला न जा सके। टेण्डरदाता द्वारा सीलड टेण्डर कंडिका 48.1 में घोषित समयावधि में विहित प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

13.9 सीलड टेण्डर संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के साथ-साथ, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के ग्वालियर स्थित कार्यालय में तथा संबंधित उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता के कार्यालय में भी कंडिका 48.1 में घोषित नियत दिनांकों में जमा किया जा सकेगा, जहां से इन्हें संबंधित जिला आबकारी कार्यालय में आगामी कार्यवाही हेतु यथास्थिति (सीलड) भेज दिया जायेगा।

13.10 प्रत्येक दुकान/एकल समूह के लिए प्राप्त समस्त टेण्डरों की संख्या की घोषणा निष्पादन स्थल पर की जावेगी। सभी टेण्डरदाता इस कार्यवाही के दौरान टेण्डर के निर्गमित मूल्य की रसीद के साथ उपस्थित रह सकते हैं। परन्तु टेण्डरदाता की अनुपस्थिति निष्पादन की कार्यवाही में बाधक नहीं होगी।

13.11 टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली सभी मदिरा दुकानों/एकल समूहों के घोषित आरक्षित मूल्य के अवरोही क्रम में, मदिरा दुकानवार/एकल समूहवार प्रस्तुत टेण्डरों का भाग-एक खोला जाकर टेण्डरदाता के टेण्डर में भाग लेने की पात्रता की जांच की जाएगी। साथ ही टेण्डरदाता द्वारा संबंधित दुकान/एकल समूह की सम्पूर्ण बेसिक लायसेंस फीस की समतुल्य धरोहर राशि की विधिवत् पुष्टि/संतुष्टि एवं जांच में समस्त अभिलेख पूर्ण होने एवं समाधानकारक पाए जाने के उपरांत ही, जिला समिति द्वारा टेण्डर का ऑफर, भाग-दो फाईनेन्शियल बिड को खोला जाएगा। फाईनेन्शियल बिड के लिफाफे में 1/12 भाग के पोस्ट डेटेड चैक की अनुपस्थिति में फाईनेन्शियल बिड में अंकित ऑफर विचारणीय नहीं होगा।

13.12 टेण्डरदाता अगर चाहे तो विभाग के पास टेण्डर की शर्तों के अनुरूप पात्रता संबंधी अभिलेख पहले ही जमा कर सकता है। संबंधित दुकान के अन्य टेण्डरों के भाग-एक खोलने के पूर्व, ऐसे टेण्डरदाताओं की पात्रता के बारे में, जिला समिति द्वारा निष्पादन स्थल पर घोषणा की जायेगी। ऐसी स्थिति में टेण्डरदाता टेण्डर प्रपत्र का भाग-एक प्रस्तुत नहीं करेगा। अगर टेण्डरदाता की किसी भी त्रुटि के कारण टेण्डर प्रपत्र का भाग-दो खुलने से उसका ऑफर (फाईनेन्शियल बिड) प्रकट हो जाता है तथा टेण्डर प्रपत्र के भाग-एक अनुसार टेण्डरदाता अपात्र नहीं है और भाग-2 में अंकित ऑफर (फाईनेन्शियल बिड) के 1/12 भाग का पोस्टेड चैक संलग्न पाया जाता है, तो ही उसका ऑफर विचारणीय होगा अन्यथा नहीं।

13.13 टेण्डर प्रपत्र भाग-एक के अभिलेखों में धरोहर राशि के विधिवत् जमा पाये जाने पर, अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटि अथवा सामान्य त्रुटियों के आधार पर प्राप्त ऑफर (फाईनेन्शियल बिड) को अमान्य नहीं किया जावेगा। इस प्रकार की त्रुटियों का सुधार जिला समिति मौके पर करवा सकेगी। लिपिकीय त्रुटि अथवा सामान्य प्रकार की त्रुटि के संबंध में शंका-समाधान के लिए, संबंधित कलेक्टर, आबकारी आयुक्त से निर्देश प्राप्त कर सकेंगे। इस संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा दिया गया निर्देश अंतिम माना जावेगा।

13.14 टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् किसी भी टेण्डरदाता अथवा अन्य व्यक्ति का कोई भी मौखिक अथवा लिखित प्रस्ताव, सशर्त अथवा बिना शर्त न तो अभिलेखों में लिया जावेगा और न ही उस पर कोई विचार किया जावेगा।

13.15 टेण्डर के माध्यम से प्राप्त ऑफर का अवरोही क्रम (Descending Order) में प्रत्येक टेण्डर के अनुरूप विवरण तैयार किया जावेगा। प्राप्त उच्चतम ऑफर संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के निर्धारित आरक्षित मूल्य या उससे अधिक राशि का होने पर, उसे जिला समिति स्वीकार कर लेगी अन्यथा स्थिति में मदिरा दुकानवार/एकल समूहवार प्राप्त टेण्डरों का तुलनात्मक पत्रक तैयार कर, इसकी सूचना तत्काल आबकारी आयुक्त को दी जाएगी। घोषित आरक्षित मूल्य की तुलना में, टेण्डर के ऑफर की राशि कम होने की दशा में, जिला समिति से प्राप्त प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त/शासन द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जायेगा। जिसकी सूचना आबकारी आयुक्त द्वारा संबंधित जिले के कलेक्टर को दी जायेगी। आबकारी आयुक्त द्वारा जिला समिति को ऑफर स्वीकार किए जाने के निर्देश दिए जाने पर, कलेक्टर टेण्डर की स्वीकृति की जानकारी देंगे। इसके विपरीत ऑफर को स्वीकृत न किए जाने के निर्देश दिये जाने की स्थिति में, कलेक्टर अन्य आगामी तिथि के लिए टेण्डर के माध्यम से निष्पादन की कार्यवाही संपन्न किए जाने की घोषणा करेंगे। नियत समय पर आबकारी आयुक्त से निर्देश प्राप्त नहीं हो सकने की स्थिति में, निष्पादन की यह कार्यवाही उसी स्टेट्स पर आगामी दिवस के लिए स्थगित रहेगी। टेण्डर द्वारा निष्पादन के प्रथम चरण से शेष बची मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा, घोषित/निर्धारित दिनांक को पुनः टेण्डर आमंत्रित कर, किया जाएगा। ऐसे टेण्डरों का निराकरण भी उपरोक्त प्रावधान अथवा शासन द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्था से होगा।

13.16 असफल टेण्डरदाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि रसीद प्राप्त कर वापिस की जायेगी.

13.17 उच्चतम टेण्डरदाता यदि टेण्डर की पुष्टि तक, टेण्डर में अंकित ऑफर पर स्थिर नहीं रहेगा अथवा टेण्डर वापिस लेगा या अन्य किसी प्रकार से शर्तों का उल्लंघन करेगा, तो उस मदिरा दुकान/एकल समूह को, टेण्डर द्वारा पुनः निष्पादित करने पर, जो खिस्सार आएगा अर्थात् शासन को जो हानि होगी, वह उच्चतम टेण्डरदाता से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी. इसके अतिरिक्त किसी भी समय टेण्डर की शर्तों के उल्लंघन पर टेण्डरदाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि उसको सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् राजसात की जा सकेगी. टेण्डरदाता द्वारा नगद अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंक गारंटी के रूप में अथवा बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक/बैंक कैंश आर्डर द्वारा जमा की गई अन्य कोई राशि भी खिंसारे की वसूली के पेटे समायोजित की जायेगी.

14. सहमति करार प्रस्तुत किया जाना :

टेण्डर द्वारा देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के निवर्तन संबंधी शर्तों को, टेण्डर देने के पूर्व मान्य करने का सहमति करार

सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी/राष्ट्रीयकृत अथवा अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक/आयकर अधिकारी के द्वारा प्रमाणित छायाप्रति एवं प्रमाणित हस्ताक्षर.

मैं, (बोलीदार का नाम), पिता/पति श्री निवासी धन्धे का स्थान आयु (वर्ष) शपथपूर्वक घोषित करता हूँ कि :-

1. मेरे राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के खाते का क्रमांक व बैंक का नाम तथा पता है.
2. टेण्डरदाता का स्वयं का/फर्म/कम्पनी अथवा उसके कोई भागीदार/भागीदारों/डायरेक्टर/डायरेक्टरों का आयकरदाता स्थायी लेखा क्रमांक (PAN) है.
3. मैंने देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के वर्ष 2010-11 के लिए निवर्तन की शर्तें पढ़-सुन तथा जान ली हैं तथा अन्यथा समझ ली हैं और मैं टेण्डर की शर्तें प्रतिग्रहीत करता/करती हूँ.
4. मैंने धरोहर राशि जमा का पूर्ण विवरण संलग्न कर दिया है.
5. मैं आफर से विचलित होने की दशा में, अपने द्वारा निक्षेप की गई धरोहर राशि अग्रिम धन/प्रतिभूति की राशि के समर्पण के लिए करार करता/करती हूँ तथा स्वयं को आबद्ध करता/करती हूँ कि पुनः निवर्तन की कार्यवाही किए जाने की स्थिति में, शासन को खिंसारे के रूप में हुई हानि की प्रतिपूर्ति की रकम, मुझसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

दिनांक

हस्ताक्षर

टीप.— (1) प्रत्येक देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के टेण्डरदाता (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा अपना बैंक खाता क्रमांक एवं स्थायी आयकरदाता लेखा क्रमांक (PAN), उसके द्वारा प्रस्तुत सहमति करार पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा. उपरोक्त सहमति करार पत्र भरकर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा.

(2) टेण्डरदाता यदि पंजीकृत फर्म/कम्पनी है तो उसके कार्यकारी भागीदार/मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा अधिकृत डायरेक्टर को उपरोक्तानुसार सहमति करार पत्र की पूर्ति कर हस्ताक्षर करना होगा.

श्री को उपरोक्त देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के उल्लेखित निवर्तन की कार्यवाही में, उनके द्वारा प्रस्तुत एवं हस्ताक्षरित उक्त सहमति करार के आधार पर, सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है/अनुमति दी गई है.

हस्ताक्षर नीलामकर्ता अधिकारी

दिनांक सहित

जिला

15. नोटराइज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना :

प्रत्येक देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के टेण्डरदाता (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा निम्नांकित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा.

शपथ-पत्र

मैं स्वयं (नाम)

(पिता/पति का नाम)

निवासी (पता)

शपथपूर्वक सत्यनिष्ठा से कथन करता/करती हूँ कि :—

- (1) यह कि मैं, (फर्म/कंपनी का नाम)
की ओर से अधिकार पत्र ग्रहीता हूँ.
- (2) यह कि मैं स्वयं अथवा फर्म/कंपनी की दशा में सभी भागीदार/संचालक देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के वर्ष 2010-11 के लिये उल्लेखित टेण्डर की कार्यवाही में ऑफर देने हेतु अपात्र नहीं हूँ/हैं.
- (3) यह कि मेरे द्वारा वांछित सहपत्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं. उसमें दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं पूर्ण हैं.
- (4) यह कि मेरे द्वारा निर्धारित धरोहर राशि कुल रुपये निम्न विवरण अनुसार जमा करा दी गयी है :—

(I) नगद राशि	रुपये
(II) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक केश आर्डर	रुपये
योग . . . रुपये	_____

- (5) यह कि मैंने, बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के केश आर्डर का पूर्ण विवरण प्रस्तुत कर दिया है.
- (6) यह कि मैं चयनित होने की दशा में प्रतिभूति की राशि तथा अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि निर्दिष्ट समय में जमा करने के लिए आबद्ध रहूँगा.
- (7) यह कि मुझे ज्ञात है कि दुकान के लिए निर्धारित क्षेत्र में आपत्तिरहित स्थल खोज कर वहां दुकान स्थापित व संचालित करने का दायित्व मेरा स्वयं का है.
- (8) यह कि देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के टेण्डर प्रपत्र एवं सहमति करार-पत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य एवं विवरण, सत्य एवं पूर्ण हैं. उक्त उल्लेखित किसी तथ्य/विवरण/बिन्दु के असत्य अथवा अपूर्ण पाये जाने पर अथवा मदिरा दुकानों के निष्पादन संबंधी किसी शर्त का पालन न करने पर कलेक्टर को प्रस्तुत ऑफर अथवा लायसेंस निरस्त करने तथा मेरे द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि/अग्रिम धन/प्रतिभूति की राशि को राजसात करने का अधिकार होगा तथा इसके संबंध में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी.

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक / /2010

सत्यापन लेख

मैं, (नाम) (पिता/पति का नाम) श्री

शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि इस शपथ के चरण (1) से चरण (8) तक में वर्णित जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है. इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है.

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

16. टेण्डरदाताओं की पहचान एवं निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में :

टेण्डर द्वारा मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन हेतु इच्छुक टेण्डरदाताओं को उनकी व्यक्तिगत पहचान एवं उनके निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में, निम्न दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत करना होंगे.

16.1 व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे:—

1. वैध पासपोर्ट.
2. वैध स्थायी आयकर लेखा क्रमांक.
3. वैध मतदाता पहचान-पत्र.
4. वैध ड्रायविंग लायसेंस.
5. फोटोयुक्त बैंक लेखा पुस्तिका की मूल /प्रमाणित प्रति.

16.2 निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे:

1. अधिकतम तीन माह पुराना टेलीफोन/मोबाईल फोन बिल.
2. अधिकतम तीन माह पुराना बिजली भुगतान का बिल.
3. अधिकतम तीन माह पुरानी एलपीजी गैस कनेक्शन रसीद.
4. अधिकतम तीन माह पुराना पानी का बिल.
5. किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी फोटो क्रेडिट कार्ड.
6. स्रोत पर आयकर कटौती का अद्यतन जारी फार्म 16 में प्रमाण-पत्र.
7. बैंक लेखा पुस्तिका की मूल/प्रमाणित प्रति.

17. प्रतिभूति राशि :

प्रतिभूति की राशि संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के निष्पादन के दिनांक से 15 दिवस में अथवा दिनांक 30 मार्च 2010, तक जो अवधि पहले आये जमा करनी होगी. प्रतिभूति राशि संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह की वार्षिक लायसेंस फीस का 12 प्रतिशत होगी, जो नगद अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में देय बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक/बैंक केश ऑर्डर के रूप में अथवा दिनांक 30 अप्रैल, 2011 तक की अवधि की वैधता के अधीन बैंक गारंटी के रूप में होगी. 12 प्रतिशत अग्रिम प्रतिभूति की राशि, संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में बन्धक किसी भी राष्ट्रीयकृत/ अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की सावधि जमा के रूप में भी प्रस्तुत की जा सकेगी. जिसकी परिपक्वता अवधि कम से कम, दिनांक 30-4-2011 तक की होगी.

सफल टेण्डरदाता मदिरा दुकान/एकल समूह के निष्पादन के दिनांक 15 दिवस की समयवधि में अथवा दिनांक 30 मार्च 2010 जो भी पहले हो, तक अग्रिम प्रतिभूति जमा नहीं करता है तथा अग्रिम प्रतिभूति की देय राशि की 50 प्रतिशत राशि नगद जमा कर, शेष 50 प्रतिशत राशि की बैंक गारंटी दिनांक 30 अप्रैल 2010 तक प्रस्तुत करने का आवेदन करता है तो इस प्रतिबंध के अधीन कि अग्रिम प्रतिभूति की 50 प्रतिशत नगद जमा राशि, मुख्य राजस्व शीर्ष 0039 राज्य उत्पादन शुल्क में जमा करायी जाकर, उसका ड्यूटी में समायोजन माह मार्च 2010 के पूर्व आदेशित/मान्य नहीं किया जायेगा, आवेदन को मान्य किया जाकर, लायसेंस जारी किया जायेगा. नगद राशि के स्थान पर बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक एवं बैंक केश आर्डर तभी मान्य किये जायेंगे, जब उनसे प्राप्त राशि शासकीय कोष में जमा हो जाये.

सफल टेण्डरदाता द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2010 तक प्रतिभूति की शेष 50 प्रतिशत राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में उसे स्वीकृत लायसेंस निरस्त किया जा सकेगा तथा/आवश्यकतानुसार दुकानों के संचालन की अन्य व्यवस्था की जा सकेगी. अग्रिम प्रतिभूति राशि की बैंक गारंटी रुपये 250/- मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार कराकर प्रस्तुत की जायेगी.

18. अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के पोस्ट डेटेड चैक जमा कराया जाना :

वर्ष 2010-11 के लिए नवीनीकरण अथवा टेण्डर द्वारा निष्पादित मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लायसेंसी को निष्पादित मदिरा दुकान/एकल समूह की वार्षिक लायसेंस फीस के परिप्रेक्ष्य में 6 माह की लायसेंस फीस की समतुल्य राशि के किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खाते के, संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी किये गये, पोस्टडेटेड चैक, अतिरिक्त गारंटी के रूप में मदिरा दुकान/एकल समूह के निष्पादन के दिनांक से 15 दिवस अथवा 30 मार्च 2010 जो भी पहले हो जमा करना अनिवार्य होगा. उपरोक्त चैकों को वर्ष 2010-11 में किसी भी समय एक माह से अधिक अवधि की वार्षिक लायसेंस फीस की देयता लंबित होने पर ही बकाया लायसेंस फीस की वसूली हेतु बैंक में भेजा जायेगा.

यदि संबंधित लायसेंसी द्वारा वर्ष में देय सम्पूर्ण वार्षिक मूल्य चुका दिया जाता है तो, उपरोक्त चैकों को मूलतः लायसेंसी को प्राप्ति रसीद लेकर वापस कर दिया जायेगा.

19. ड्यूटी दरें—

1. देशी मदिरा की ड्यूटी दरें :

वर्ष 2010-11 के लिये 25 डिग्री अण्डर प्रूफ तेजी की देशी मदिरा मसाला तथा 50 डिग्री अण्डर प्रूफ तेजी की देशी मदिरा प्लेन की ड्यूटी दर, एक समान रुपये 160/- प्रति प्रूफ लीटर रहेगी.

2. विदेशी मदिरा की ड्यूटी दरें :

वर्ष 2010-11 के लिये विदेशी मदिरा के लिये ड्यूटी दर निम्नानुसार रहेगी:—

2.1 विदेशी मदिरा स्पिरिट:

क्रमांक	भारत निर्मित विदेशी मदिरा की प्रति पेटी घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर	ड्यूटी दर
(1)	(2)	(3)
1.	रुपये 400 तक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 300% या रुपये 1125 प्रति पेटी जो भी अधिक हो.
2.	रुपये 401 से रुपये 800 तक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 225% या रुपये 1300 प्रति पेटी जो भी अधिक हो.
3.	रुपये 801 से रुपये 1100 तक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 180% या रुपये 1800 प्रति पेटी जो भी अधिक हो.
4.	रुपये 1101 से रुपये 1600 तक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 140% या रुपये 2050 प्रति पेटी जो भी अधिक हो.

(1)	(2)	(3)
5.	रुपये 1601 से रुपये 2800 तक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 90% या रुपये 2300 प्रति पेटी जो भी अधिक हो.
6.	रुपये 2801 से रुपये 4000 तक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 80% या रुपये 2700 प्रति पेटी जो भी अधिक हो.
7.	रुपये 4001 से रुपये 10,000 तक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 45% या रुपये 3300 प्रति पेटी जो भी अधिक हो.
8.	रुपये 10,000 से अधिक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 40% या रुपये 4600 प्रति पेटी जो भी अधिक हो.

2.2 विदेशी मदिरा बीयर :

विदेशी मदिरा बीयर पर ड्यूटी प्रति पेटी घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 75% या रुपये 210 प्रति पेटी जो भी अधिक हो.

2.3 विदेशी मदिरा वाइन :

वर्ष 2009-10 की भांति विदेशी मदिरा वाइन पर ड्यूटी रुपये 250 प्रति पूफ लीटर रहेगी, जबकि मध्यप्रदेश राज्य में कृषकों द्वारा उत्पादित अंगूर का उपयोग कर मध्यप्रदेश में निर्मित विदेशी मदिरा वाइन पर ड्यूटी दर पूर्ववत् शून्य रहेगी.

2.4 ड्राफ्ट बीयर :

वर्ष 2010-11 के लिये ड्राफ्ट बीयर की देय ड्यूटी दर, रुपये 20/- प्रति बल्क लीटर रहेगी.

नोट.—पेटी से आशय विदेशी मदिरा की 12 क्वार्ट बोटल अथवा समतुल्य मात्रा से है.

2.5 रक्षा सेवाओं को प्रदाय की जाने वाली विदेशी मदिरा पर ड्यूटी:

वर्ष 2009-10 में रक्षा सेवाओं को प्रदाय की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर देय ड्यूटी, सिविलियन्स के लिए देय ड्यूटी का रम के लिए 30 प्रतिशत तथा अन्य विदेशी मदिरा के लिए 50 प्रतिशत निर्धारित है. वर्ष 2010-11 के लिए यह पूर्ववत् रहेगी.

20. एकल समूह में स्थित मदिरा दुकानों की वार्षिक लायसेंस फीस का समायोजन :

एकल समूह की मदिरा दुकानों की लायसेंस फीस में समूह की देशी मदिरा दुकान से विदेशी मदिरा दुकान में और विदेशी मदिरा दुकान से देशी मदिरा दुकान में अधिकतम 20 प्रतिशत तक समायोजन की अनुमति वर्ष 2010-11 में भी पूर्ववत् दी जा सकेगी. यह समायोजन संबंधित लायसेंसी की मांग एवं आवश्यकता का परीक्षण कर, जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा संभाग के उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता के अनुमोदन उपरान्त अनुमत किया जा सकेगा. इसकी सूचना संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश को तत्समय ही भेजी जायेगी.

21. न्यूनतम एवं अधिकतम विक्रय दरों का निर्धारण :

वर्ष 2010-11 के लिये प्रत्येक लेबिल व प्रत्येक धारिता की विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाइन तथा बीयर) के साथ-साथ, देशी मदिरा की प्रत्येक किस्म की बोटलों पर न्यूनतम तथा अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य अंकन किये जाने की व्यवस्था पूर्ववत् प्रभाव में लाई जायेगी.

22. होलोग्राम :

वर्ष 2010-11 में भी विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) एवं देशी मदिरा की प्रत्येक धारिता की बोतल पर विभाग द्वारा निर्धारित सिक्वोरिटी होलोग्राम लगाया जाना पूर्ववत् अनिवार्य रहेगा.

23. शॉप बार लायसेंस :

वर्ष 2010-11 में विदेशी मदिरा की ऑफ श्रेणी की दुकानों में "शॉप-बार" (Shop-Bar) लायसेंस निम्न प्रतिबंधों के अधीन गुण दोष के आधार पर संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत किये जा सकेंगे :—

- (i) "शॉप-बार" का कवर्ड एरिया (उपभोग परिसर) कम से कम 300 वर्गफीट होगा. ऐसा परिसर संबंधित विदेशी मदिरा दुकान से लगा होना अनिवार्य होगा, ताकि ग्राहक दुकान से विदेशी मदिरा का क्रय कर, उसका उपभोग इस परिसर में कर सके. यह सुविधा एक से अधिक तल पर उपलब्ध नहीं कराई जाएगी.
- (ii) "शॉप-बार" परिसर अनिवार्यतः एयर कूल्ड/एयर कन्डीशन्ड होगा.
- (iii) "शॉप-बार" परिसर में शुद्ध जल की उपलब्धता अनिवार्य होगी.
- (iv) "शॉप-बार" परिसर में शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य होगी.
- (v) "शॉप-बार" में फर्नीचर, हवा, प्रकाश एवं अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था होगी.
"शॉप-बार" परिसर में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य-रक्षा (Hygiene) का पूरा ध्यान रखा जाएगा.
- (vi) "शॉप-बार" 12 फीट से कम चौड़ी गली में स्थित नहीं होगा.
- (vii) "शॉप-बार" में वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होगी.
- (viii) "शॉप-बार" का संचालन लायसेंस द्वारा स्वयं किया जाना अनिवार्य होगा. किसी भी स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को संचालन की पात्रता नहीं होगी. ऐसा पाया जाने पर "शॉप-बार" हेतु स्वीकृत एफ.एल.-1-ख लायसेंस निरस्त कर दिया जावेगा.

वर्ष 2010-11 में, स्वीकृत किये जाने वाले "शॉप-बार", लायसेंस हेतु वार्षिक लायसेंस फीस, संबंधित विदेशी मदिरा दुकान के वार्षिक मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर अग्रिम देय होगी.

24. देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था :

24.1 वर्ष 2010-11 में देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी को सीलबन्द बोतलों में देशी मदिरा मसाला एवं प्लेन का प्रदाय, वर्ष 2009-10 की भांति मैनुफैक्चरिंग / स्टोरेज मद्यभाण्डागारों के माध्यम से निर्धारित धारिता की बोतलों में किया जायेगा.

24.2 वर्ष 2010-11 के लिये मदिरा की किस्म तथा बोतल की धारिता के अनुसार प्रदाय मूल्य निम्नानुसार रहेगा. जो प्रदाय लेते समय देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी द्वारा प्रदाय संविदाकार को भुगतान किया जायेगा:—

अ. क्र.	मदिरा की किस्म	प्रदाय मूल्य प्रति नग (धारिता अनुसार)		
		750 मि.ली.	375 मि.ली.	180 मि.ली.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मसाला (25 डिग्रि अण्डर प्रूफ)	5.00	4.00	2.25
2.	प्लेन (50 डिग्रि अण्डर प्रूफ)	4.00	3.00	1.75

24.3 वर्ष 2010-11 में देशी मदिरा 180 मिली लीटर, 375 मिली लीटर तथा 750 मिली लीटर की निर्धारित पैटर्न व आकार की गोल कांच की बोतलों के साथ-साथ, 180 मिली लीटर की चपटी बोतलों में भी प्रदाय की जा सकेगी. देशी मदिरा की वर्तमान में प्रचलित गोल बोतलों की भांति, 180 मिली लीटर की चपटी बोतलों पर भी "देशी मदिरा" एवं "म. प्र. आबकारी" शब्द समूह उत्कीर्ण होने के साथ-साथ, बोतल की क्षमता भी उत्कीर्ण होगी.

24.4 वर्ष 2010-11 के लिए उपरोक्तानुसार निश्चित किये गये मानक एवं पैटर्न की देशी मदिरा की बोतलों की धरोहर राशि निम्नानुसार रहेगी:—

क्र. (1)	बोतल की धारिता (2)	धरोहर राशि (3)
1	750 मिली लीटर धारिता की गोल बोतल	रुपये 6.00
2	375 मिली लीटर धारिता की गोल बोतल	रुपये 3.50
3	180 मिली लीटर धारिता की गोल बोतल	रुपये 2.00
4	180 मिली लीटर धारिता की चपटी बोतल	रुपये 2.00

देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसि द्वारा देशी मदिरा प्रदाय के समय खाली बोतलों का मूल्य (धरोहर राशि) प्रति नग की दर से उपरिलिखित अनुसार, संबंधित प्रदाय संविदाकार को भुगतान किया जायेगा.

24.5 वर्ष 2010-11 के लिये प्रदाय संविदाकार द्वारा मदिरा का प्रदाय केवल तीन प्लाई के मजबूत कोरोगेटेड बॉक्स में ही किया जावेगा. कोरोगेटेड बॉक्स में गत्ते के सेपरेटर रखे जाना अनिवार्य होगा. कोरोगेटेड बॉक्स का खर्च देशी मदिरा प्रदायकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा. मदिरा का परिवहन कोरोगेटेड बॉक्स में ही होगा.

24.6 फुटकर ठेकेदारों के द्वारा उन्हें प्रदाय की गई देशी मदिरा की कम से कम 90 प्रतिशत संख्या में खाली बोतलें प्रदाय संविदाकार को वापिस करने की अनिवार्यता संबंधी प्रावधान समाप्त किया जाता है. किन्तु खाली बोतल वापस करने पर, फुटकर ठेकेदार को निर्धारित धरोहर राशि का भुगतान, उपभोक्ताओं को करना आवश्यक होगा. इसी प्रकार देशी मदिरा प्रदाय संविदाकार के लिये भी यह आवश्यक होगा कि वे, फुटकर ठेकेदार द्वारा लौटाई गई साबुत कांच की बोतलें, निर्धारित धरोहर राशि का भुगतान कर वापस लें.

24.7 देशी मदिरा का प्रदाय पूर्व वर्षों के अनुसार 750, 375 तथा 180 मिली लीटर की बोतलों में (बल्क लीटर में) क्रमशः 10: 20: 70 के अनुपात में किया जायेगा. यदि कोई फुटकर ठेकेदार 750 तथा 375 मिली लीटर की बोतलों के एवज में 180 मिली लीटरों की बोतलों में प्रदाय चाहता है, तो प्रदाय संविदाकार की सहमति से उसे ऐसे प्रदाय की अनुमति होगी.

25. विदेशी मदिरा का प्रदाय :

वर्ष 2010-11 में फुटकर ठेकेदारों द्वारा मांग अनुसार चाही गई विदेशी मदिरा का प्रदाय, देय कीमत का पृथक् से भुगतान किये जाने पर, शासन द्वारा नियंत्रित विदेशी मदिरा भाण्डागारों के माध्यम से वर्ष 2009-10 की भांति पूर्ववत् प्रचलित व्यवस्था अनुसार किया जाएगा. वर्तमान में संभागीय मुख्यालयों में संचालित विदेशी मदिरा भाण्डागारों के अतिरिक्त वर्ष 2010-11 में जिला मुख्यालय सिवनी, जिला होशंगाबाद के तहसील मुख्यालय इटारसी तथा जिला खरगौन के सनावद में भी शासन द्वारा नियंत्रित विदेशी मदिरा भाण्डागार संचालित होंगे.

26. परिवहन फीस :

वर्ष 2010-11 में विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाइन तथा बीयर) के विदेशी मदिरा भाण्डागार पर घोषित मूल्य पर 8 प्रतिशत की दर से परिवहन फीस पूर्ववत् पृथक् से प्रभारित की जायेगी.

27. ड्राफ्ट बीयर :

ड्राफ्ट बीयर उत्पादन इकाई से सीधे खपत के बिन्दु अर्थात् एफ.एल.-1-ख, (शॉप बार) लायसेंस धारित एफ.एल.-1 के साथ-साथ, एफ.एल.-1-कककक, एफ.एल.-2, एफ.एल.-3, एफ.एल.-3-क, एफ.एल.-4, एफ.एल.-4-क, एफ.एल.-5, तथा एफ.एल.-8 लायसेंसि को नियत ड्यूटी के अग्रिम भुगतान के बाद, नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर, परिवहन पारपत्र पर दी जाएगी. केवल एफ.एल.-1-ख (शॉप बार) लायसेंस धारित, एफ.एल.-1 लायसेंसि तथा एफ.एल.-1-कककक लायसेंसि द्वारा ड्राफ्ट बीयर के लिए जमा ड्यूटी का समायोजन उसकी वार्षिक लायसेंस फीस की देय पाक्षिक किश्त के विरुद्ध अनुमत किया जावेगा.

28. लायसेंस फीस जमा करने की प्रक्रिया :

28.1 वर्ष 2009-10 की भांति वर्ष 2010-11 में भी मदिरा दुकानों/ एकल समूहों के लिये निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस 24 पाक्षिक किशतों में वसूली योग्य होगी. ये किशतें समान रूप से विभाजित नहीं होंगी. वर्ष के प्रथम त्रैमास में वार्षिक मांग का 30 प्रतिशत, द्वितीय त्रैमास में वार्षिक मांग का 20 प्रतिशत तथा वर्ष के तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमासों में वार्षिक मांग का क्रमशः 25 एवं 25 प्रतिशत भाग वसूल किया जायेगा. किसी भी त्रैमास में वसूली योग्य इस राशि को छः समान भागों में बांटा जाएगा. यदि यह राशि छः समान भागों में विभाज्य नहीं है तो अविभाज्य शेष भाग संबंधित त्रैमास की प्रथम पाक्षिक किशत में समायोजित किया जाएगा. परन्तु अंतिम 24वीं किशत अर्थात् ठेका अवधि की अंतिम किशत 25 मार्च तक जमा करना अनिवार्य होगा. इसके पश्चात् जमा राशि के विरुद्ध मदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी. दिनांक 25 मार्च 2011 को जमा चालानों पर 27 मार्च, 2011 तक ही प्रदाय दिया जावेगा.

28.2 देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा देशी मदिरा तथा/अथवा विदेशी मदिरा (स्मिरिट, वाईन एवं बीयर) की जो मात्रा क्रय की जायेगी, उसके एवज में निर्धारित दरों पर जमा ड्यूटी की राशि, उसकी संबंधित पक्ष की लायसेंस फीस की समतुल्य निर्धारित मांग के विरुद्ध समायोजित की जायेगी.

28.3 यदि किसी पक्ष के लिये निर्धारित लायसेंस फीस के समतुल्य मदिरा क्रय करने के उपरांत अनुज्ञप्तिधारी और अधिक मदिरा क्रय करता है तो इस प्रकार अधिक जमा ड्यूटी की राशि का समायोजन संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आगामी अवधि की लायसेंस फीस के विरुद्ध अनुमत किया जा सकेगा.

28.4 यदि किसी देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी द्वारा संबंधित पक्ष की लायसेंस फीस की निर्धारित पाक्षिक किशत संपूर्ण अथवा आंशिक उस पक्ष में जमा न कराई जाकर, आगामी पक्ष/पक्षों में जमा कराई जाती है तो, ऐसी विलम्ब से जमा कराई गई लायसेंस फीस की राशि के विरुद्ध उसे मदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी. यह बकाया लायसेंस फीस, यदि आगामी पक्ष की समाप्ति के पूर्व जमा नहीं कराई जाती है तो, उस पाक्षिक अवधि की समाप्ति पर उसे स्वीकृत लायसेंस निरस्त किया जा सकेगा तथा /अथवा आवश्यकतानुसार दुकानों के संचालन की अन्य व्यवस्था की जा सकेगी.

28.5 एकल समूह की मदिरा दुकानों का पृथक्-पृथक् एवं स्वतंत्र अस्तित्व रहेगा, किन्तु एकल समूह की किसी भी एक या एक से अधिक दुकानों की पाक्षिक लायसेंस फीस बकाया रहने पर, वह बकाया संपूर्ण एकल समूह की बकाया मानी जाएगी. ऐसी बकाया रहने पर, उस एकल समूह की किसी भी दुकान को आगामी पक्ष में तब तक मदिरा का प्रदाय नहीं किया जाएगा, जब तक उस एकल समूह की समस्त मदिरा दुकानों की अवशेष लायसेंस फीस जमा न हो जाए. यह बकाया लायसेंस फीस यदि आगामी पक्ष की समाप्ति के पूर्व जमा नहीं कराई जाती है तो, उस पाक्षिक अवधि की समाप्ति पर संपूर्ण एकल समूह का लायसेंस निरस्त किया जा सकेगा, तथा/अथवा एकल समूह की सभी दुकानों के संचालन की अन्य व्यवस्था की जा सकेगी.

28.6 यदि किसी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी द्वारा संबंधित पक्ष की निर्धारित पाक्षिक किशत उसी पक्ष की समाप्ति के पूर्व जमा करा दी जाती है और किसी प्रशासकीय कारणवश उसे उसी पक्ष में मदिरा का प्रदाय दिया जाना संभव नहीं होता है तो, उसे पक्ष समाप्ति के तुरन्त बाद की तिथियों में मदिरा का प्रदाय दिया जा सकेगा.

29. मदिरा स्कंध का एक दुकान से दूसरी दुकान में स्थानांतरण :

वर्ष 2010-11 में किसी मदिरा दुकान पर अनुज्ञप्तिधारी की आवश्यकता से अधिक मदिरा संग्रहित होने पर, उसे उसी जिले की उसी प्रकार की अन्य दुकान में अंतरित करने की स्वीकृति, जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी. इसके लिए देशी मदिरा, विदेशी मदिरा (स्मिरिट एवं वाईन) पर रुपये 2.00 प्रति पूफ लीटर तथा बीयर पर रुपये 1.00 प्रति बल्क लीटर की दर से परिवहन फीस पूर्ववत् अनुज्ञप्तिधारी से अग्रिम जमा करायी जायेगी.

30. अवशेष मदिरा स्कंध का निराकरण :

30.1 वर्ष 2009-10 में ठेका अवधि समाप्त होने पर, देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय की दुकान पर शेष बचे मदिरा

स्कंध को आगामी वर्ष 2010-11 के लायसेंस को, सामान्य लायसेंस शर्त 25 के प्रावधान के अन्तर्गत अन्तरित करना होगा। इस अन्तरित मदिरा स्कंध पर वर्ष 2009-10 में भुगतान की गई ड्यूटी की राशि का समायोजन वर्ष 2010-11 की लायसेंस फीस में मान्य नहीं होगा। लेकिन ड्यूटी दरों में वृद्धि के फलस्वरूप यदि वर्ष 2010-11 में लायसेंस को, ऐसे अवशेष मदिरा स्कंध पर ड्यूटी के अन्तर की राशि का भुगतान करना पड़ता है तो ऐसी ड्यूटी के अन्तर की राशि, उसकी वर्ष 2010-11 की देय लायसेंस फीस के विरुद्ध समायोजन योग्य होगी।

30.2 सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी इस तरह के मदिरा अंतरण की अनुमति अपने जिले में ही दे सकेंगे। एक जिले से दूसरे जिले में अंतरण के लिए आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

31. मदिरा दुकानों की बिक्री का समय :

वर्ष 2009-10 में देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों को खोलने का समय प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक रहेगा। देशी अथवा विदेशी मदिरा दुकान के संलग्न स्थित अहाता परिसर में, मदिरा के उपभोग की अनुमति प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक रहेगी। रेस्टोरेन्ट, होटल, रिसोर्ट तथा क्लब बार लायसेंस के अन्तर्गत परिसर में, विदेशी मदिरा की बिक्री एवं उपभोग का समय पूर्ववत् प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 11.30 बजे तक रहेगा।

32. दुकानों का निरीक्षण :

प्रत्येक लायसेंस को अग्रिम भुगतान के विरुद्ध, विभाग द्वारा जारी की गई निरीक्षण पुस्तिका संधारित करना अनिवार्य होगा। इसमें आबकारी विभाग सहित किसी भी अधिकृत अधिकारी को, दुकान में किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के पूर्व अपना नाम, पदनाम, आगमन का दिनांक व समय अंकित करने के साथ हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ही वह अग्रिम कार्यवाही करेगा। ऐसी कार्यवाही का संक्षिप्त सारगर्भित विवरण भी उक्त निरीक्षण पुस्तिका में अंकित करेगा। लायसेंस को अपनी दुकान में क्लोज सर्किट टेलीविजन या वीडियो कैमरा के उपयोग की अनुमति होगी।

33. लायसेंस का हस्तान्तरण :

यदि लायसेंस की अवधि के दौरान किसी लायसेंस का हस्तान्तरण स्वीकृत किया जाना आवश्यक पाया जायेगा तो, संबंधित लायसेंस की शेष अवधि की लायसेंस फीस आदि का भुगतान करने के लिए एवं लायसेंस की शर्तों का पालन करने के लिए मूल लायसेंस (अंतरणकर्ता) तथा वह व्यक्ति जिसके नाम लायसेंस को बीच में हस्तान्तरण किया जायेगा (अंतरणग्रहिता), दोनों ही बाध्य रहेंगे। वर्ष 2010-11 के लिए मदिरा दुकानों के लायसेंस के हस्तांतरण, के लिये उसके वार्षिक मूल्य के एक प्रतिशत के समतुल्य राशि हस्तांतरण फीस के रूप में प्रधारित की जायेगी।

34. अग्रिम प्रतिभूति की राशि का लायसेंस फीस में समायोजन :

देशी/विदेशी मदिरा के ठेकेदार द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 की समाप्ति के पूर्व जब भी अग्रिम प्रतिभूति की राशि को कम कर, शेष संपूर्ण देय वार्षिक लायसेंस फीस एवं कोई भी देय अन्य राशि जमा कर दी जाती है तथा ठेकेदार जमा अग्रिम प्रतिभूति की राशि का समायोजन, शेष रही लायसेंस फीस के विरुद्ध चाहता है तो, सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी ऐसे समायोजन की स्वीकृति दुकान की बेसिक लायसेंस फीस के 10 प्रतिशत के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति प्राप्त कर दे सकेंगे। इस अग्रिम प्रतिभूति की राशि के बराबर मदिरा का प्रदाय उपरोक्त कण्डिका क्रमांक 28.1 में वर्णित प्रतिबन्धों के अधीन दिया जा सकेगा। किन्तु किसी भी पक्ष में निर्धारित पाक्षिक लायसेंस फीस से अधिक मदिरा की मात्रा का प्रदाय नहीं दिया जायेगा। अग्रिम प्रतिभूति की राशि के विरुद्ध मदिरा का प्रदाय, ऐसी राशि मुख्य राजस्व शीर्ष-0039 राज्य उत्पादन शुल्क में कोषालय चालान द्वारा जमा होने/समायोजन के उपरान्त ही अनुमत्य होगा।

35. देशी मदिरा दुकानों के लिए गोदाम की व्यवस्था :

वर्ष 2010-11 में केवल नगर निगम क्षेत्रों में स्थित देशी मदिरा दुकानों के लिए मदिरा संग्रहण हेतु गोदाम, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा दी गई पूर्व अनुमति एवं आदेशित प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृत किया जा सकेगा।

36. रतलाम स्थित वाईनरी को फुटकर बिक्री की अनुमति :

वर्ष 2010-11 में रतलाम जिले में स्थित वाईनरी के अनुज्ञप्त परिसर में, कृषकों द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में उत्पादित अंगूर से निर्मित वाईन के टेस्टिंग एवं फुटकर बिक्री की अनुमति पूर्ववत रहेगी.

37. पुनर्निष्पादन :

वर्ष 2010-11 के लिए सार्वजनिक रूप से टेण्डर द्वारा निष्पादित किये जाने पर, ऐसी किसी भी वर्तमान में संचालित मदिरा दुकान/एकल समूह, अथवा नवीन मदिरा दुकान का पुनर्निष्पादन, केवल इस आधार पर आदेशित नहीं किया जायेगा कि उसके निष्पादन के समय उपस्थित कोई टेण्डरदाता, निष्पादन की प्रक्रिया में प्राप्त उच्चतम ऑफर के विरुद्ध, अधिक ऑफर देने का इच्छुक होकर, निष्पादित की गई दुकान के पुनर्निष्पादन की अपेक्षा रखता हो.

38. वर्ष 2010-11 के लिए निष्पादित दुकानों के नवीनीकरण की व्यवस्था :

वर्ष 2010-11 के लिए निष्पादित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह का वर्ष 2011-12 के लिए 20 प्रतिशत की वृद्धि दर पर, शासन द्वारा निर्धारित नीति अन्तर्गत, नवीनीकरण करने पर विचार किया जा सकेगा.

39. शुष्क दिवस :

वर्ष 2010-11 के लिए शासन द्वारा अधिसूचित अनुसार 3 शुष्क दिवस निम्नानुसार रहेंगे :—

- (1) 15 अगस्त, 2010 (स्वतंत्रता दिवस)
- (2) 02 अक्टूबर, 2010 (महात्मा गांधी जयंती)
- (3) 26 जनवरी, 2011 (गणतंत्र दिवस)

शुष्क दिवसों के संबंध में कलेक्टर द्वारा जिले के विक्रय ज्ञापन में, अनिवार्य रूप से इसका उल्लेख किया जायेगा. शुष्क दिवसों की घोषणा संबंधित कलेक्टर द्वारा निष्पादन स्थल पर भी अनिवार्य रूप से की जावेगी, क्योंकि नियमानुसार संबंधित जिला कलेक्टर ही शुष्क दिवसों की घोषणा करने के लिए सक्षम हैं. उपरोक्त के अतिरिक्त जिला कलेक्टर वर्ष 2010-11 में प्रशासकीय तथा लोकहित में किसी भी स्थान की कोई एक या इससे अधिक दुकानों अथवा तहसील या जिले की समस्त मदिरा दुकानों के लिए कुल 4 दिवस शुष्क दिवस के रूप में घोषित करने के सक्षम रहेंगे.

40. मद्य निषेध की नीति तथा प्राकृतिक विपत्तियों के फलस्वरूप दुकान बंद करना :

राज्य में अथवा किसी पड़ोसी राज्य में मद्यनिषेध की नीति के फलस्वरूप यदि कोई दुकान/दुकानें बंद की जाती हैं तो, इसके कारण लायसेंस को शासन द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी. इसी प्रकार यदि पड़ोसी राज्य में मद्यनिषेध के कारण अथवा किसी अन्य कारण से भी राज्य की किसी दुकान का पुनः निष्पादन करने का निर्णय लिया जाता है तो, ऐसा करने का अधिकार शासन को होगा तथा उस पर किसी लायसेंस की आपत्ति मान्य नहीं की जायेगी और किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा छूट किसी भी आपत्तिकर्ता को देय नहीं होगी. यदि लायसेंस की अवधि में लायसेंस को किसी दैवीय विपत्ति या प्राकृतिक प्रकोप अथवा सामाजिक, राजनैतिक उपद्रवों, कानून व्यवस्था संबंधी समस्याओं के फलस्वरूप किसी प्रकार की क्षति होती है तो, लायसेंस को किसी तरह की क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी.

41. लायसेंस अवधि के दौरान दुकान का पुनर्निष्पादन :

लायसेंस अवधि के दौरान लायसेंस शर्तों के उल्लंघन, लायसेंस फीस जमा न करने अथवा किसी अन्य कारण से, यदि दुकान/एकल समूह का लायसेंस निरस्त किए जाने की स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में जिला समिति को उस दुकान/एकल समूह को पुनः निष्पादित करने के अधिकार होंगे. लायसेंस निरस्त किए जाने के पश्चात् मूल अनुज्ञप्तिधारी के उत्तरदायित्व पर उस दुकान/एकल समूह का पुनः निष्पादन

टेण्डर के माध्यम से किया जाएगा. दुकान के पुनः निष्पादन तक उसका विभागीय संचालन स्थानीय अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से किया जाएगा. टेण्डर के माध्यम से दुकान/एकल समूह के पुनः निष्पादन अथवा विभागीय संचालन में जो भी राशि कम प्राप्त होगी, वह मूल अनुज्ञापितधारी से वसूली योग्य होगी. पुनः निष्पादन किस मूल्य पर किया जाए इसके लिए जिला समिति को मैदानी वास्तविकताओं के आधार पर निर्णय लेने के अधिकार होंगे.

42. ठेका की अवधि में निष्पादन की शर्तों का प्रभावशील रहना :

देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन की ये सभी शर्तें वर्ष 2010-11 के दौरान होने वाले पुनः निष्पादन की कार्यवाही के संबंध में भी प्रभावशील रहेंगी.

43. अन्य कर :

ठेका अवधि में यदि केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी अधिनियम अथवा नियम के अन्तर्गत मादक पदार्थों पर कोई कर लगाया जावेगा तो अनुज्ञापितधारी इस बाबत लायसेंस फीस में किसी छूट अथवा क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा और इस संबंध में उसकी कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी.

44. अन्य व्यवस्थाएं लागू रहना :

वर्ष 2010-11 के लिये मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन एवं संचालन हेतु लागू की जाने वाली जिन व्यवस्थाओं के संबंध में उल्लेख/अथवा अन्यथा पृथक से निर्देशित नहीं किया गया है, वे सभी व्यवस्थाएं वर्ष 2009-2010 में प्रचलित व्यवस्था अनुसार पूर्ववत् लागू रहेंगी.

45. बार लायसेंसों के संबंध में :

45.1 वर्ष 2010-11 के लिए रेस्तरां बार (एफ.एल.-2), होटल बार (एफ.एल.03), रिसोर्ट बार (एफ.एल.-3-ए.), सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.-4) तथा व्यवसायिक क्लब बार (एफ.एल.-4-ए) तथा मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों के लायसेंसों की लायसेंस फीस, वर्ष 2010-11 के लिए प्रचलित लायसेंस फीस में 10 प्रतिशत वृद्धि कर रुपये 5000 के आगामी पूर्णांक में निर्धारित की जावेगी.

45.2 होटल तथा रेस्टोरेंट बार लायसेंस के लिये वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 50 हजार की जनसंख्या पर एक बार लायसेंस की स्वीकृति के मापदण्ड को घटाकर, वर्ष 2010-11 में प्रत्येक 40 हजार की जनसंख्या पर एक होटल और एक रेस्टोरेंट बार लायसेंस स्वीकृत किया जा सकेगा. पर्यटन विभाग द्वारा प्रमाणित किये गये पर्यटन स्थलों पर जनसंख्या प्रतिबंध के बिना होटल और रेस्टोरेंट में बार लायसेंस पूर्ववत् स्वीकृत किये जा सकेंगे.

45.3 वर्ष 2010-11 में एफ.एल.-2, एफ.एल.-3, एफ.एल.-3-ए तथा एफ.एल.-4ए बार लायसेंसों के अन्तर्गत मिनिमम गारण्टी निर्धारित की जाएगी. उक्त बार लायसेंसों के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 के प्रथम नौ माह में वास्तविक रूप से क्रय की गई विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) की मात्रा के आधार पर संपूर्ण बारह माह के लिए मात्रा परिगणित कर, इसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर, वर्ष 2010-11 के लिये संबंधित बार लायसेंस की मिनिमम गारंटी निर्धारित की जाएगी.

45.4 वर्ष 2010-11 के लिए नवीन बार लायसेंस स्वीकृति की स्थिति में कलेक्टर, संभागीय उपायुक्त, (आबकारी) से परामर्श कर संबंधित बार की मिनिमम गारंटी निर्धारित करेंगे.

45.5 त्रैमासिक आधार पर लायसेंसों द्वारा निर्धारित मिनिमम गारंटी के समतुल्य विदेशी मदिरा (स्पिरिट वाईन व बीयर) क्रय न किये जाने की स्थिति में, ऐसी कम क्रय की गई विदेशी मदिरा (स्पिरिट व वाईन) की मात्रा पर अधिकतम रुपये 750/- प्रति प्रूफ लीटर एवं विदेशी मदिरा (बीयर) पर अधिकतम रुपये 40/- प्रतिबल्क लीटर की दर से शास्ति अधिरोपित की जाएगी.

45.6. विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के सुगम निष्पादन की दृष्टि से वर्तमान में संचालित बार लायसेंस, नवीनीकरण उपरांत वर्ष 2010-11 में किस निकटतम स्थित विदेशी मदिरा दुकान से सम्बद्ध रहेंगे, इसकी घोषणा विदेशी मदिरा दुकानों के निष्पादन के पूर्व कर दी जाएगी.

45.7 वर्ष 2010-11 के लिए व्यावसायिक प्रयोजन हेतु आकस्मिक (Occasional) (एफ.एल.-5) लायसेंस की लायसेंस फीस रुपये 2000/- प्रतिदिन तथा अन्य प्रयोजन के लिए रुपये 1000/- प्रतिदिन पूर्ववत अग्रिम देय होगी.

46. वर्ष 2010-11 के लिये रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट बार, क्लब बार अनुज्ञप्ति की स्वीकृति व संचालन हेतु लागू की जाने वाली जिन व्यवस्थाओं के संबंध में उल्लेख/अथवा अन्यथा पृथक से निर्देशित नहीं किया गया है, वे सभी व्यवस्थाएं वर्ष 2009-10 की भांति पूर्ववत लागू रहेंगी.

47. वर्ष 2010-11 में स्वीकृत/जारी किये जाने वाली सभी लायसेंस मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (यथा संशोधित) तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये एवं समय-समय पर संशोधित किये गये नियमों और समय-समय पर राज्य शासन, आबकारी आयुक्त व कलेक्टर द्वारा पारित आदेशों/अनुदेशों के अधधीन रहेंगे.

48. वर्ष 2010-11 के लिये मध्यप्रदेश में मदिरा के फुटकर बिक्री के लायसेंसों के टेंडर द्वारा निष्पादन की तिथियां एवं स्थल:

48.1 निष्पादन की तिथियां :

1. नवीनीकरण के पश्चात् निष्पादन से शेष रही दुकानों के टेंडर प्रपत्र विक्रय की तिथि व समय.	दिनांक 14 फरवरी 2010 से दिनांक 25 फरवरी 2010 की अवधि में प्रातः 10.30 बजे से सांयकाल 17.30 बजे तक तथा दिनांक 26 फरवरी 2010 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 11.30 बजे तक.
2. टेंडर प्रपत्र जमा करने की तिथि व समय	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के ग्वालियर स्थित कार्यालय में दिनांक 18 फरवरी 2010 से दिनांक 23 फरवरी 2010 की अवधि में प्रातः 10.30 बजे से सांय 17.30 बजे तक तथा दिनांक 24 फरवरी 2010 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 15.00 बजे तक. संबंधित संभागीय उपायुक्त आबकारी के कार्यालय में दिनांक 18 फरवरी 2010 से दिनांक 24 फरवरी 2010 की अवधि में प्रातः 10.30 बजे से सांय 17.30 बजे तक तथा दिनांक 25 फरवरी 2010 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 15.00 बजे तक. संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 18 फरवरी 2010 से दिनांक 25 फरवरी 2010 की अवधि में प्रातः 10.30 बजे से सांय 17.30 बजे तक तथा दिनांक 26 फरवरी 2010 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक.
3. टेंडर प्रपत्र को खोलकर निष्पादन की कार्यवाही की तिथि व समय.	दिनांक 26 फरवरी 2010 को दोपहर 14.00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक.

48.2 निष्पादन स्थल :

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	निष्पादन स्थल (3)
1	इन्दौर	कलेक्टोरेट, इन्दौर
2	झाबुआ	कलेक्टोरेट, झाबुआ
3	अलीराजपुर	कलेक्टोरेट, अलीराजपुर
4	खरगौन	स्वामी विवेकानंद सभागृह, कलेक्टोरेट, खरगौन
5	बड़वानी	कलेक्टोरेट, बड़वानी
6	धार	कलेक्टोरेट, धार
7	खण्डवा	आबकारी भवन परिसर, खण्डवा
8	बुरहानपुर	कलेक्टोरेट, बुरहानपुर
9	भोपाल	सहायक आयुक्त, आबकारी कार्यालय, भोपाल
10	राजगढ़	नवीन कलेक्टोरेट, राजगढ़ (ब्यावरा)
11	विदिशा	कलेक्टोरेट, विदिशा

(1)	(2)	(3)
12	सीहोर	कलेक्टोरेट, सीहोर
13	रायसेन	कलेक्टोरेट, रायसेन
14	होशंगाबाद	कलेक्टोरेट, होशंगाबाद
15	हरदा	कलेक्टोरेट, हरदा
16	बैतूल	जिला आबकारी कार्यालय, बैतूल
17	जबलपुर	कलेक्टोरेट, जबलपुर
18	डिण्डोरी	कलेक्टोरेट, डिण्डोरी
19	सिवनी	कलेक्टोरेट, सिवनी
20	छिंदवाड़ा	कलेक्टोरेट, छिंदवाड़ा
21	कटनी	कलेक्टोरेट, कटनी
22	बालाघाट	कलेक्टोरेट, बालाघाट
23	मण्डला	कलेक्टोरेट, मण्डला
24	नरसिंहपुर	न्यू कलेक्टोरेट, नरसिंहपुर
25	ग्वालियर	कलेक्टोरेट, ग्वालियर
26	मुरैना	कलेक्टोरेट, मुरैना
27	भिण्ड	कलेक्टोरेट, भिण्ड
28	श्योपुर	जिला आबकारी कार्यालय, चम्बल कालोनी, श्योपुर
29	गुना	कलेक्टोरेट, गुना
30	अशोकनगर	कलेक्टोरेट, अशोकनगर
31	शिवपुरी	कलेक्टोरेट, शिवपुरी
32	दतिया	संयुक्त कलेक्टोरेट भवन, दतिया
33	सागर	कलेक्टोरेट, सागर
34	दमोह	नवीन कलेक्टोरेट, दमोह
35	पन्ना	कलेक्टोरेट, पन्ना
36	टीकमगढ़	संयुक्त कार्यालय भवन, जिला आबकारी कार्यालय, टीकमगढ़
37	छतरपुर	कलेक्टोरेट, छतरपुर
38	रीवा	सहायक आयुक्त, आबकारी कार्यालय, रीवा
39	सतना	कलेक्टोरेट, सतना
40	शहडोल	संयुक्त जिला कार्यालय, शहडोल
41	उमरिया	कलेक्टोरेट, उमरिया
42	अनूपपुर	कलेक्टोरेट, अनूपपुर
43	सीधी	कलेक्टोरेट, सीधी
44	सिंगरौली	कलेक्टोरेट, सिंगरौली
45	उज्जैन	सहायक आयुक्त, आबकारी कार्यालय, उज्जैन
46	शाजापुर	कलेक्टोरेट, शाजापुर
47	मंदसौर	जिला आबकारी कार्यालय, मंदसौर
48	नीमच	कलेक्टोरेट, नीमच
49	रतलाम	सहायक आयुक्त, आबकारी कार्यालय, रतलाम
50	देवास	जिला आबकारी कार्यालय, देवास

परिशिष्ट-एक

वर्ष 2010-2011 के लिये नवीन खोली जाने वाली देशी मदिरा दुकानों की सूची

क्रमांक	नाम संभाग	नाम जिला	खोली जाने वाली नवीन देशी मदिरा दुकानें	नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र	कुल जनसंख्या (जनगणना 2001 अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्वालियर	ग्वालियर	1. गिरवाई नाका 2. आम खो 3. कांच मिल 4. चन्द्र नगर 5. पुरानी छावनी 6. हुरावली रोड 7. नदीपार टाल	नगरीय नगरीय नगरीय नगरीय ग्रामीण नगरीय नगरीय	827026 827026 827026 827026 6617 827016 827016
योग जिला			7		
		दतिया	1. भदोरिया की खिड़की 2. खलकापुरा 3. ईदगाह मोहल्ला 4. ग्राम चिरूला 5. ग्राम चौपड़ा 6. ग्राम महाराजपुरा	नगरीय नगरीय नगरीय ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण	82755 82755 82755 2051 338 429
योग जिला			6		
योग संभाग			13		
2	भोपाल	सीहोर	1. दिवड़िया	ग्रामीण	3920
योग जिला			1		
योग संभाग			1		
3	इन्दौर	इन्दौर	1. पिपलिया कुमार 2. एम. आर. 10 बायपास (निरंजनपुर) 3. हिम्मत नगर 4. रविशंकर शुक्ल नगर 5. भांगिया 6. गौरीनगर (खातीपुरा) 7. भोंरासला तिराहा 8. सिरपुर तालाब 9. पंचशील नगर 10. पंचमूर्ति नगर 11. हातोद 12. घाटा बिल्लोद 13. बनेड़िया 14. शंकरपुरा 15. रंगवासा	नगरीय नगरीय नगरीय नगरीय नगरीय नगरीय नगरीय नगरीय नगरीय ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण	1550880 1550880 1550880 1550880 1550880 1550880 1550880 1550880 1550880 1550880 9028 3089 4836 750 6678

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			16. आम्बा चन्दन	ग्रामीण	2833
			17. भसलाय	ग्रामीण	1921
			18. विश्वास नगर	ग्रामीण	6000
			19. भिचौली	ग्रामीण	4809
		योग जिला	19		
		बुरहानपुर	1. बोरी बुजुर्ग	ग्रामीण	2546
			2. शेखपुरा	ग्रामीण	1859
		योग जिला	2		
		योग संभाग	21		
4	उज्जैन	देवास	1. डिंगरोदा	ग्रामीण	760
			2. मानकुण्ड	ग्रामीण	3769
			3. रतनपुर	ग्रामीण	1443
		योग जिला	3		
		रतलाम	1. औद्योगिक क्षेत्र जावरा	नगरीय	65111
			2. पंचेड़	ग्रामीण	4486
		योग जिला	2		
		योग संभाग	5		
5	सागर	सागर	1. बिनायका	ग्रामीण	2237
			2. भड़राना	ग्रामीण	2228
			3. बरेठी	ग्रामीण	1837
			4. पटना बुजुर्ग	ग्रामीण	4778
			5. मोहली	ग्रामीण	2292
			6. बरौदिया नौनागिर	ग्रामीण	2640
			7. मेहर	ग्रामीण	3134
		योग जिला	7		
		दमोह	1. सीता नगर	ग्रामीण	3009
			2. केवलारी	ग्रामीण	2987
			3. कांटी	ग्रामीण	1691
			4. रजपुरा	ग्रामीण	1091
		योग जिला	4		
		छतरपुर	1. महबा	ग्रामीण	3323
			2. टटम	ग्रामीण	5154
			3. सडवा	ग्रामीण	3050
			4. शाहगढ़	ग्रामीण	1332
		योग जिला	4		
		योग संभाग	15		
6	रीवा	रीवा	1. करहिया मंडी	ग्रामीण	1594
			2. बिछरहटा (बिछरेटा)	ग्रामीण	2269
			3. पुर्वा (पड़रिया)	ग्रामीण	2328
			4. प्रतापगंज	ग्रामीण	640
			5. बरौ	ग्रामीण	4765
		योग जिला	5		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		सिंगरौली	1. शासन	ग्रामीण	1592
			2. दुधमनियां	ग्रामीण	2269
		योग जिला	2		
		शहडोल	1. अमझोर	ग्रामीण	2830
			2. खैरहा	ग्रामीण	3692
			3. जैतपुर	ग्रामीण	2199
		योग जिला	3		
		योग संभाग	10		
7	जबलपुर	जबलपुर	1. खलरी	ग्रामीण	2427
			2. खिरहनी	ग्रामीण	1162
			3. मुरेठ	ग्रामीण	986
			4. खिन्नी	ग्रामीण	923
			5. लखनपुर	ग्रामीण	1169
			6. मोहनिया (मानेगांव)	ग्रामीण	3926
			7. उड़ना	ग्रामीण	1359
			8. बिजौरी	ग्रामीण	1223
			9. अमखेरा	नगरीय	1135919
			10. कैमोरी	ग्रामीण	2466
			11. छतरपुर	ग्रामीण	2199
			12. कंचनपुर	नगरीय	1135919
			13. रमखिरिया	ग्रामीण	2976
			14. अमोदा	ग्रामीण	929
			15. सोहड़	नगरीय	1135919
			16. धनवाही	ग्रामीण	814
			17. धनपुरी	ग्रामीण	971
		योग जिला	17		
		कटनी	1. इमलिया	ग्रामीण	1915
		योग जिला	1		
		मण्डला	1. घुटास	ग्रामीण	1295
			2. मोतीनाला	ग्रामीण	1022
			3. डिठौरी	ग्रामीण	910
		योग जिला	3		
		डिण्डौरी	1. शहपुरा	नगरीय	9448
		योग जिला	1		
		सिवनी	1. पीपरवानी	ग्रामीण	2605
			2. बादलपार	ग्रामीण	2064
			3. बखारी	ग्रामीण	2031
			4. चमारी	ग्रामीण	1180
			5. सुनवारा	ग्रामीण	3676
			6. शिकारा	ग्रामीण	1173
			7. मेहता	ग्रामीण	1762
		योग जिला	7		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		छिन्दवाड़ा	1. सांवगा 2. बनगांव 3. सिराठा 4. चागोवा 5. लांघा 6. चावलपानी 7. धाना उमरी 8. घनौरा 9. सुरलाखापा 10. कुन्डा	ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण	3473 1965 2521 1550 1959 1961 1032 1615 1825 2587
		योग जिला	10		
		बालाघाट	1. गोंगलई 2. बकेरा	ग्रामीण ग्रामीण	2484 1844
		योग जिला	2		
		योग संभाग	41		
		महायोग	106		

परिशिष्ट-दो

वर्ष 2010-2011 के लिये नवीन खोली जाने वाली विदेशी मदिरा की ऑफ श्रेणी की दुकानों की सूची

क्रमांक	नाम संभाग	नाम जिला	खोली जाने वाली नवीन विदेशी मदिरा दुकानें	नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र	कुल जनसंख्या (जनगणना 2001 अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्वालियर	ग्वालियर	1. तिघरा ग्राम	ग्रामीण	1389
		योग जिला	1		
		भिण्ड	1. ऊमरी 2. शास्त्री नगर भिण्ड 3. अटेर 4. अमायन 5. आलमपुर	ग्रामीण नगरीय ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण	9051 175033 4197 8060 9350
		योग जिला	5		
		दतिया	1. ग्राम थरेट 2. ग्राम बड़ोनी	ग्रामीण ग्रामीण	5391 4466
		योग जिला	2		
		योग संभाग	8		
2	भोपाल	होशंगाबाद	1. पिपरिया क्रमांक-2 2. सुखतवा	नगरीय ग्रामीण	55748 3000
		योग जिला	2		
		सीहोर	1. शाहगंज	नगरीय	90333
		योग जिला	1		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		हरदा	1. हण्डिया	ग्रामीण	3434
		योग जिला	1		
		योग संभाग	4		
3	इन्दौर	इन्दौर	1. चौपाटी पीथमपुर रोड	नगरीय	1550880
			2. फफून्द	ग्रामीण	1268
		योग जिला	2		
		खण्डवा	1. छैगांवा माखन	ग्रामीण	4421
		योग जिला	1		
		योग संभाग	3		
4	उज्जैन	देवास	1. भौरासा	ग्रामीण	741
			2. पीपलरावा	ग्रामीण	8159
			3. काँटाफोड़	नगरीय	9256
			4. नेमावर	ग्रामीण	5016
		योग जिला	4		
		शाजापुर	1. तनोडिया	ग्रामीण	5382
			2. आमला चौराहा	ग्रामीण	1061
		योग जिला	2		
		योग संभाग	6		
5	सागर	टीकमगढ़	1. दिगौड़ा	ग्रामीण	6936
		योग जिला	1		
		छतरपुर	1. घुवारा	ग्रामीण	10813
			2. सटई	ग्रामीण	8295
		योग जिला	2		
		पन्ना	1. सलेहा	ग्रामीण	3575
			2. रैपुरा	ग्रामीण	4549
		योग जिला	2		
		योग संभाग	5		
6	रीवा	सीधी	1. सेमरिया	ग्रामीण	1619
			2. सिहावल	ग्रामीण	1532
			3. कुसमी	ग्रामीण	1246
		योग जिला	3		
		सिंगरौली	1. रजमिलान	ग्रामीण	4946
			2. शासन	ग्रामीण	1592
			3. निगरी	ग्रामीण	4380
		योग जिला	3		
		उमरिया	1. घुनघुटी	ग्रामीण	1880
		योग जिला	1		
		योग संभाग	7		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	जबलपुर	जबलपुर	1. बेलखाडू 2. सुनवारा चरगवां 3. इंद्राना 4. लमकना 5. बिलहरी (बिलहा) 6. बघराजी	ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण नगरीय ग्रामीण	5420 2266 3385 1385 1135919 4788
		योग जिला	6		
		कटनी	1. बड़वारा	ग्रामीण	2985
		योग जिला	1		
		नरसिंहपुर	1. बरमान 2. करकबेल	ग्रामीण ग्रामीण	5884 2100
		योग जिला	2		
		मण्डला	1. रामनगर 2. मबई (जार)	ग्रामीण ग्रामीण	2705 1699
		योग जिला	2		
		सिवनी	1. गंगेरूआ (धापारा) 2. धूमा 3. खेरापलारी	ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण	3683 4737 3102
		योग जिला	3		
		छिन्दवाड़ा	1. खमारपानी	ग्रामीण	1875
		योग जिला	1		
		बालाघाट	1. लामटा 2. बिरसा 3. परसवाड़ा 4. डोगरमाली	ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण	3269 2418 3647 2145
		योग जिला	4		
		योग संभाग	19		
		महायोग	52		

परिशिष्ट-तीन

स्वरूप परिवर्तन वाली मदिरा दुकानों की सूची :-

1. देशी मदिरा दुकान कामठी, जिला हौशंगाबाद को विदेशी मदिरा दुकान सारंगपुर (मढ़ई).
2. देशी मदिरा दुकान खरबई, जिला रायसेन को विदेशी मदिरा दुकान खरबई.
3. देशी मदिरा दुकान मालवन, जिला बड़वानी को विदेशी मदिरा दुकान मालवन.
4. देशी मदिरा दुकान रैगवां, बायपास, जबलपुर को विदेशी मदिरा दुकान रैगवां बायपास.

परिशिष्ट-चार

स्थान परिवर्तन वाली मदिरा दुकानों की सूची :-

1. विदेशी मदिरा दुकान माण्डली, जिला झाबुआ को देमारा गांव में.
2. विदेशी मदिरा दुकान बारगी नगर, जिला जबलपुर को बरगी में.
3. विदेशी मदिरा दुकान बस स्टेण्ड पन्ना को बेनीसागर मोहल्ला पन्ना में.
4. देशी मदिरा दुकान मड़ीखेड़ा, जिला शिवपुरी को एरावन में.
5. देशी मदिरा दुकान लोटना, जिला शिवपुरी को उमरीकलाँ में.
6. देशी मदिरा दुकान अमोला, जिला शिवपुरी को न्यू अमोला में.
7. देशी मदिरा दुकान कतवारिया, जिला उज्जैन को ग्राम करड़ी में.
8. देशी मदिरा दुकान शामर, जिला देवास को खारिया में.
9. देशी मदिरा दुकान धुरासिया, जिला शाजापुर को भ्याना में.
10. देशी मदिरा दुकान मालनवासा, जिला शाजापुर को ग्राम श्यामपुर में.
11. देशी मदिरा दुकान पिपरिया घाट, जिला सागर को मीरखेड़ी में.
12. देशी मदिरा दुकान हरदुआ, जिला कटनी को देवगांव में.
13. देशी मदिरा दुकान ग्राम बिलहरी, जिला जबलपुर को तिलहरी में.
14. देशी मदिरा दुकान राखीकोल, जिला छिन्दवाड़ा को कौलवाशरी (भरदागढ़) में.
15. देशी मदिरा दुकान न्यूटन नं. 4, जिला छिन्दवाड़ा को अनखावाड़ी (लीखावाड़ी) में.
16. देशी मदिरा दुकान गंगापुरवा, जिला पन्ना को ग्राम नरदहा में.
17. देशी मदिरा दुकान खुरसड़ा, जिला सिवनी को ग्राम सरेखा में.

(अरूण पाण्डेय)

आबकारी आयुक्त,

मध्यप्रदेश.